14/10/21

प्रार्थना पत्र की बाबत गत तारीख पेशी 6/10/21
उभय पक्ष ~~की~~ के अभिभाषकों की बहस
सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने कथन मे
कहा की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आ० ख० नं०
487/0.34, 719/0.12, 777/0.21 वाके
ग्राम सेमला कला तह० नगर सैटलमैन्ट से
पूर्व प्रार्थी के पिता मोहन सिंह की कब्जे काश्त
खातेदारी की आराजी थी परन्तु दौरान सैटलमैन्ट
सैटलमैन्ट कर्मचारियों ने आ० ख० नं० 487/0.34,
719/0.12, 777/0.21 वाके ग्राम सेमला-
कला को अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व
रिकॉर्ड कर दिया। जिस पर संवत 2012 से आज
तक प्रार्थीगण का ही मौके पर कब्जा है।
अप्रार्थीगण उक्त वर्णित [illegible] की बाबत राजस्व
रिकॉर्ड मे दर्ज [illegible] अप्रार्थीगण एक
ही परिवार के सदस्य [illegible] अतः परिवार में
विवाद की स्थिती ना बने, के लिए अन्तरिम व
अस्थाई निषेधाज्ञा की पुष्टि दावा के निर्णय
तक कि जावें। जवाब में वकील अप्रार्थी ने

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:56 IST
Reason: SelfAttested

S.D.O. NAGAR

66/5 प्रा.पत्र धा.212 R.T.Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बलवन्त बनाम करनैल सिंह

कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित हाल आराजी खसरा नम्बरान का साबिक आराजी खसरा नम्बरान या सेटलमेन्ट से पूर्व का कोई दस्तावेज जिससे यह साबित हो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। गिरदावरी यह साबित करती है कि मौके पर आराजी पर किसका कब्जा है, गिरदावरी में यह साबित होता है कि वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। वकील अप्रार्थी ने पुनः कथन किया कि आराजी संवत 2012 से पूर्व भी अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अतः विधिवत आब पर रिकॉर्ड खातेदार को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं फरमाया जा सकता है अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे।

उभय पक्ष के कथनों पर विचार किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज तथा वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा कि सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। हाल जमाबन्दी संवत 2075-78 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 487/0.34, 719/0.12, 777/0.21 वाके ग्राम सौमला कलां, अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और न्यायालय रिकॉर्ड [illegible] को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] जाना उचित नहीं समझता है, अतः [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी [illegible] किया जाता है, तथा दिनांक 02.09.2021 को जारी T.I. खारिज की जाती है, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

Signature Not Ve
Digitally signed by An
Date: 2024.09.27 16:
Reason: SelfAttested